कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर

दिनांक : 29/11/07

क्रमांक : फा. सविरा/रजि/मिस/2/87–88

परिपत्र क्रमांक

अनेकों बार एक से अधिक सूचियां प्राप्त होने की शिकायतें भी प्राप्त होती रही हैं,
प्रायः देखा गया है कि विभिन्न इकाईयों में संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम,
1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं के मामलों में संस्थाओं के निर्वाचन के पश्चात्
धारा 4 एवं 4(क) के अन्तर्गत जो सूची प्रस्तुत की जाती है, उसमें एक से अधिक
पक्षकारों के मध्य विवाद की स्थिति सामने आती है। कार्यालय रजिस्ट्रार के समक्ष
जिसमें अनेक बार इकाई अधिकारियों द्वारा ऐसी सूचियों के विधिवत सत्यापन हेतु
जांच करवाये जाने एवं तदनन्तर किसी एक कार्यकारिणी को अनुमोदित किये जाने
की शिकायतें भी विभाग में प्राप्त होती रही हैं।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रार को ऐसे विवादित मामलों में मध्यस्थता या प्राप्त विवादों में निर्णय किये
जाने अथवा जांच किये जाने के संबंध में कोई शक्तियां प्रदत्त नहीं हैं। कतिपय
स्थितियों में विभागीय स्तर पर उक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने पर विभिन्न
न्यायालय द्वारा ऐसी कार्यवाहियों को प्रश्नगत भी किया गया है। संस्था रजिस्ट्रेशन
अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा संस्था की परिषद,
समिति या अन्य शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों के,
जिनको सोसाइटी के काम काज का प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो, नाम पते और
उपजीविकायें शामिल करते हुए रजिस्ट्रार के समक्ष एक सूची प्रस्तुत किये जाने के
प्रावधान है। इसी प्रकार धारा 4(क) के अन्तर्गत ऐसी संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रार को
एक विवरण, जिसमें उक्त परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय, जिसे सोसाइटी के
काम काज का प्रबन्ध सौंपा हुआ हो, के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों
में उस वर्ष, जिससे सूची सम्बन्धित है, के दौरान किये गये समस्त परिवर्तनों की
सूचना देने तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों की अद्यतन शुद्धकृत प्रति शासी
निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा
सही प्रति के रूप में प्रमाणित कर प्रेषित किये जाने के प्रावधान है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के
अन्तर्गत अधिनियम की धारा 4 अथवा 4(क) के अन्तर्गत संस्था के निदेशकों,
न्यासियों अथवा कार्यकारिणी के तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा सही प्रति के रूप में
हस्ताक्षरित प्रति रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रार द्वारा उसे पत्रावली में
शामिल किये जाने से इन्कार किये जाने के कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं है तथा
रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी प्रकरण में कार्यकारिणी विशेष को अनुमोदित किये जाने के
प्रावधान भी अधिनियम में नहीं हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि धारा 4 एवं 4(क) के अन्तर्गत जो भी
सूची अथवा संस्था के नियम विनियमों की संशोधित प्रति रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत
की जाये, जो कि तीन से अन्यून कार्यकारिणी के सदस्यों, निदेशकों, न्यासियों आदि
द्वारा हस्ताक्षरित हो, उसे रजिस्ट्रार द्वारा संस्था की पत्रावली में शामिल किया जाना
अपेक्षित है तथा अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार के
समक्ष प्रस्तुत किये गये ऐसे किसी भी दस्तावेज को आवश्यक शुल्क जमा कराकर
उसका निरीक्षण कर सकता है तथा उसकी प्रति भी प्राप्त कर सकता है, जिस पर
रजिस्ट्रार इस आशय का प्रमाणन करेगा कि यह दस्तावेज संस्था की पत्रावली में
सम्मिलित है।

Attested

उप रजिस्ट्रार (नियम)
सहकारी समितियां,

लगातार----2

यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऐसे मामलों में यदि दो पक्षकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसमें सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। ऐसे प्रकरणों में रजिस्ट्रार को जांच अथवा निर्णय करने की शक्तियां प्रदत्त नहीं है।

अतः सभी पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि उनके द्वारा केवल उन्हीं शक्तियों का उपयोग किया जावे, जो अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त हैं। अन्यथा स्थिति में अधिकारातीत कृत्यों के लिये वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

28/11/07

(सुधांशु पंत)
रजिस्ट्रार,

क्रमांक : फा. सविरा/रजि/मिस/2/87–88 दिनांक : 29/11/07

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, मा.सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), प्रधान कार्यालय, जयपुर ।
4. संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, समस्त
5. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, समस्त
6. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, समस्त
7. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियाँ, समस्त
8. विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियाँ, समस्त
9. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर ।
10. गार्ड पत्रावली ।

उप रजिस्ट्रार (नियम)